न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 64 / 2024

GCMS Case No. : 2024 / 333

प्रार्थी :–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. रजनी पत्नी नन्दलाल जाति मीणा निवासी मिश्री कॉलोनी, रेल्वे लाईन के पास फुलेरा जिला जयपुर।
2. निर्मला पुत्री नन्दलाल जातिगण मीणा निवासी रतनगढ पाला तहसील मालाखेडा जिला अलवर।
3. नाथूराम पुत्र पुनाराम जाति गमेती (भील) निवासी उमरना तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
4. सवाराम पुत्र नेमाराम जाति मीणा निवासी ओडवाडिया।
5. नेनाराम पुत्र खीमाराम जाति मीणा निवासी ओडवाडिया।
6. पुरखाराम पुत्र वरदाराम जाति भील निवासी सरवडी चारणान तहसील समदडी जिला बाडमेर।

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–:: आदेश ::–

दिनांक 27/03/2025

प्रार्थी तहसीलदार रानी द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी राजस्व अधिनियम, 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी रानी के प्रकरण संख्या 30 / 2017 बअनवान नन्दलाल के कायम मुकाम रजनी वगैरा बनाम तहसीलदार रानी में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 के विरूद्ध पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन / वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से सरकारी पैरोकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैराकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस कथन किया कि प्रश्नगत भूमि तत्कालीन ग्राम भादरलाउ के गत खसरा संख्या

103 रकबा 26 बीघा 7 बिस्वा भूमि नंदिया पुत्र देवा कौम मेणा सा. भांदरलाउ की खातेदारी भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जिसके वर्तमान में ग्राम सोमेसर तहसील रानी के नये खसरा संख्या 56 रकबा 3.47 हैक्टेयर है। नंदिया द्वारा उक्त विवादित आराजी दिनांक 22.03.1980 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के पकीया पुत्र जोगा जाति भील निवासी भादरलाउ के पक्ष में बेचान की। दौराने सेटलमेन्ट उक्त आराजी वर्तमान ग्राम सोमेसर के खसरा संख्या 56 भूमि क्रेता पकीया के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गयी। न्यायालय तहसीलदार देसूरी में दायर मुकदमा संख्या 01/95 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी बनाम पकिया पुत्र जोगा भील में तहसीलदार देसूरी द्वारा ग्राम सोमेसर एवं पटवार हल्का भादरलाउ के चारों ग्रामों में पकीया पुत्र जोगा भील नाम का कोई व्यक्ति नहीं होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 60 एवं 61(2) के तहत कार्यवाही करते हुए निर्णय दिनांक 25.11.1995 के जरिये उक्त आराजी को राज्य सरकार की सम्पति घोषित कर दिया। उक्त निर्णय की पालना में जरिये नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 12.12.95 द्वारा खसरा संख्या 56 रकबा 3.47 हैक्टेयर भूमि को राजस्थान सरकार सिवायचक दर्ज किया गया। इसके पश्चात् तहसीलदार देसूरी एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली की अनुशंषा के आधार पर जिला कलक्टर महोदय, पाली द्वारा आदेश दिनांक 26.09.1996 उक्त आराजी को राजकीय एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किया। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 35 पारित किया गया। जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 26.09.1996 के विरूद्ध पकीया पुत्र जोगा द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील संख्या 12/1998 में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेश को अपास्त किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील पेश की गई, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 18.06.2012 के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय दिनांक 13.10.2000 को अपास्त किया गया और जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 26.09.1996 को यथावत् रखा। प्रकरण में विवादित आराजी के सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पति व 2 के पिता द्वारा माननीय सिविल न्यायालय देसूरी में वाद संख्या 44/2007 दायर किया उस दौरान उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज थी। इसके बावजूद उक्त प्रकरण में भूमिधारी को पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से राज्य पक्ष की ओर से प्रकरण में प्रभावी पैरवी नहीं हुई तथा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 13.10.2017 के जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 22.03.1980 को अपास्त किया। वर्ष 2007 में विवादित आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जो अन्तरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर, रानी के समक्ष सुनवाई हेतु संस्थित हुआ, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 के द्वारा विवादित आराजी रेस्पोडेण्ट नन्दलाल के कायम मुकाम के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध निजी पक्षकार द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली मे अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें भूमिधारी से लिखित सहमति नहीं ली गई। उक्त निर्णय पारित होने के समय विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज होकर राजकीय

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कार्यालयों हेतु आरक्षित थी। उपखण्ड अधिकारी, रानी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 199 दिनांक 11.04.2022 के जरिये निर्मला पुत्री नन्दलाल एवं रजनी पत्नी नन्दलाल जाति मीणा के नाम बतौर खातेदारी दर्ज की गई जबकि तत्समय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी से स्थगन आदेश प्रभावी था। इसके पश्चात खातेदार निर्मला एवं रजनी द्वारा उक्त विवादित आराजी का जरिये रजिस्ट्री दिनांक 11.04.2022 के बेचान किया, जिसके आधार पर क्रेतागण के नाम नामान्तरकरण संख्या 199 दायर किया तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 232, 233 एवं 234 स्वीकृत किये। अतः जैर आराजी में खातेदार अप्रार्थीगण का नाम विलोपित करते हुए उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज करवाने हेतु उपरोक्त समस्त नामान्तरकरण को अपास्त कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 से 6 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम सोमेसर के नये खसरा संख्या 56 रकबा 3.47 हैक्टेयर की भूमि नन्दिया द्वारा पकिया पुत्र जोगा, जाति भील के पक्ष में बेचाण नहीं किया है। पकिया ने फर्जी एवं गलत तौर पर अपना नाम सेटलमेन्ट विभाग में दर्ज करवाया, जिसकी जानकारी नन्दिया को होने पर सिविल न्यायालय देसूरी में दावा पेश किया, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 के द्वारा उक्त विक्रय विलेख दिनांक 22.03.1980 को अपास्त किया अर्थात् जमीन का मालिक नन्दिया को माना और पकिया को कोई वैधानिक हक नहीं दिये। तहसीलदार देसूरी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 60 एवं 61(2) के तहत कार्यवाही की परन्तु पकिया नाम का कोई व्यक्ति नहीं था तो हल्का पटवारी को भौतिक तौर पर यह पता करना चाहिये था कि जमीन पर कब्जा किसका है और वास्तव में जमीन किसकी है। उक्त जांच के उपरान्त उपरोक्त धारा में कार्यवाई की जानी थी। अप्रार्थी संख्या 1 के पति नन्दलाल एवं अप्रार्थी संख्या 2 के पिता नन्दलाल ने सिविल कोर्ट में दावा किया, उसमें राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार नहीं हो सकता क्योंकि पकीया नाम के व्यक्ति ने नन्दलाल से जमीन खरीदना बताया था इसलिये नन्दलाल द्वारा ही आवश्यक कार्यवाही करवाई जानी थी। राज्य सरकार ने कथन किया कि उक्त प्रकरण की सक्षम न्यायालय में पृथक से अपील की जा रही है परन्तु उक्त निर्णय दिनांक 13.10.2017 को करीब 8 वर्ष हो गये है और आज तक ऐसी कोई अपील प्रस्तुत नहीं हुई। वर्ष 2007 में न्यायालय सहायक कलक्टर रानी ने प्रकरण संख्या 30/2017 में निर्णय पारित कर नन्दलाल के वारिशान रजनी व निर्मला को खातेदारी प्रदान की। इसलिये राज्य सरकार इसे रेफरेन्स नहीं कर सकती, क्योंकि जहां अपील एवं रिविजन के कानून में अधिकार प्रदत्त है तो वहां रेफरेन्स नहीं हो सकता। उपखण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय के विरूद्ध निजी पक्षकार ने अपील की जिसमें निजी पक्षकार ने सरकार को पक्षकार बनाया लेकिन सरकार ने उस समय न तो क्रॉस ऑब्जेक्शन पेश किया और न ही अपनी ओर से कोइ स्वतंत्र अपील पेश की। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता उपस्थित थे जिन्होंने अपनी ओर से वहां सहमति दी है व कथन किया कि अपील विड्रो की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके पश्चात निजी पक्षकार ने उक्त अपील को दिनांक 27.06.2022 को विड्रो की। नामान्तरकरण संख्या

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

199 के द्वारा निर्मला व रजनी के नाम खातेदारी दर्ज कि गई परन्तु उस समय स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था क्योंकि दिनांक 17.05.2022 को पक्षकारों के मध्य अपील को आगे नहीं चलाने का राजीनामा हो गया था। उपरोक्त दावे में राज्य सरकार एकमात्र पक्षकार थी और उनकी ओर से इस तरह की कोई आपत्ति पेश नहीं हुई कि यह भूमि राज्य हित में है। जिला कलक्टर पाली ने दिनांक 26.07.2021 के द्वारा वाद संख्या 30/2017 दिनांक 12.04.2021 की पालना में अगर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो नन्दलाल के वारिशान के पक्ष में खातेदारी अमल दरामद हेतु तहसीलदार रानी को निर्देशित किया गया। साथ ही नामान्तरकरण अपील संख्या 57/2022 में पारित दिनांक 14.06.2023 के द्वारा तहसीलदार रानी ने दिनांक 17.07.2023 को प्रकट किया कि जिला कलक्टर पाली द्वारा निर्णय के विरूद्ध कोई ठोस आधार नहीं होने से अपील की आवश्यकता नहीं होने की राय दी गई थी। जिससे यह जाहिर है कि भूमिधारी प्रार्थी खुद भी इस बात को स्वीकार करते है प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करना उचित नहीं है फिर भी अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियम से उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के सम्बन्ध में 2020 DNJ (Rev.) 113 State of Rajasthan vs Harlal तथा 2020 DNJ (Rev.)97 State of Rajasthan vs Kesudan पेश कर हस्तगत रेफरेन्स को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार रानी ने उपखण्ड अधिकारी रानी के प्रकरण संख्या 30/2017 बअनवान नन्दलल के कायम मुकाम रजनी वगैरा बनाम तहसीलदार रानी में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 के विरूद्ध पेश किया है। हस्तगत प्रकरण में सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि ग्राम सोमेसर के नये खसरा संख्या 56 रकबा 3.47 हैक्टेयर भूमि का बेचाण नंदिया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पकीया पुत्र जोगा के पक्ष में किया गया, परन्तु पकीया पुत्र जोगा नाम का व्यक्ति पटवार हल्का भादरलाउ के आस–पास किसी भी गांव में नहीं होने से जैर आराजी को नामान्तरकरण संख्या 25 दिनांक 12.12.95 के द्वारा सिवायचक दर्ज किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये उज्र किया कि नंदिया द्वारा ऐसा कोई विक्रय विलेख निष्पादित ही नहीं किया गया तथा प्रार्थी ने जिस विक्रय विलेख का जिक्र किया है वह फर्जी व कूटरचित है। इस सम्बन्ध में नंदलाल ने उक्त विक्रय विलेख दिनांक 22.03.1980 को निरस्त करवाने हेतु एक वाद सिविल न्यायालय देसूरी में पेश किया, जिसके प्रकरण संख्या 44/2007 बअनवान नंदलाल बना पकिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 के द्वारा प्रश्नगत विक्रय विलेख दिनांक 22.03.1980 को प्रभावहीन निरस्त व शून्य घोषित किया एवं वादग्रस्त आराजी पर विद्यमान वादी के आधिपत्य में कोई शख्स हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करने हेतु निषेधाज्ञा आदेश भी जारी किये। अर्थात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस आधार पर नामान्तरकरण संख्या 25 स्वीकृत किया गया था उसके मूल आधार दस्तोवज को ही माननीय न्यायालय द्वारा प्रभावहीन निरस्त व शून्य घोषित कर दिया हो तो उक्त नामान्तरकरण एवं उसके पश्चातवर्ती कार्यवाही स्वतः ही शून्य हो गई है। साथ ही सरकारी पैरोकार ने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कथन किया कि माननीय सिविल न्यायालय देसूरी में प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया इसलिये उनकी तरफ से प्रकरण में प्रभावी पैरवी नहीं हो सकी, जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी का उज्र था कि पकीया नाम के व्यक्ति ने नंदलाल से जमीन खरीदना बताया तथा नंदलाल को अपनी जमीन का विक्रय विलेख निरस्त करवाना जरूरी था, जिसमें प्रार्थी की कोई भूमिका नहीं थी, इसलिये अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। इस सम्बन्ध में हम अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों को उचित समझते है तथा यह भी पाते है कि यदि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया और यदि वह इस आदेश दिनांक 13.10.2017 को अपने विरूद्ध मानते थे तो उनके द्वारा उक्त आदेश की तत्काल अपील सक्षम न्यायालय में की जानी थी, जो कि नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा जैर आराजी का खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी में पेश किया गया, जो अन्तरित होकर न्यायालय सहायक कलक्टर, रानी में संस्थित हुआ, जिसके प्रकरण संख्या 30/2017 बअनवान नन्दलाल के का.मु. रजनी व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 के द्वारा प्रार्थी को ग्राम सोमेसर खसरा संख्या 56 रकबा 3.47 हैक्टेयर में खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध नाथूराम द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली में अपील प्रस्तुत की, जिसके प्रकरण संख्या 42/2021 है, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2021 को स्थगन आदेश पारित किया गया। उक्त प्रकरण में आदेशिका दिनांक 17.05.2022 से स्पष्ट है कि पक्षकारों में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया था तथा आदेशिका दिनांक 27.06.2022 में यह उल्लेखित है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर राजकीय अधिवक्ता ने भी अपील विड्रो करने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है, जिस आधार पर उक्त प्रकरण को जरिये विड्रो खारिज किया गया। साथ ही सरकारी पैरोकार का इस सम्बन्ध में यह भी उज्र था कि यह अपील निजी पक्षकार के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें हितबद्ध पक्षकार भूमिधारी से लिखित सहमति नहीं ली गयी। प्रकरण में यह तो प्रमाणित है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली में अपील निजी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी थी परन्तु प्रार्थी का यह उज्र कि उनकी सहमति नहीं थी, विरोधाभाषी प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ही प्रकरण को विड्रो किये जाने में सहमति जाहिर की। चूंकि उक्त अपील में गुणावगुण पर निर्णय नहीं होने के कारण सहायक कलक्टर, रानी द्वारा पारित निर्णय ही अन्तिम है। अतः यह सुस्पष्ट है कि न्यायालय सहायक कलक्टर, रानी ने जिस आदेश के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे, उस आदेश की अपील में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली में प्रार्थी ने प्रकरण को विड्रो किये जाने में सहमति जाहिर की, जिस आधार पर प्रकरण को जरिये विड्रो खारिज किया गया अर्थात् प्रार्थी ने न्यायालय सहायक कलक्टर, रानी के निर्णय दिनांक 12.04.2021 को यथावत् रखे जाने की सहमति दी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

इसके अतिरिक्त तहसीलदार, रानी ने सहायक कलक्टर, रानी के निर्णय दिनांक 12.04.2021 की पालना में जैर आराजी का नामान्तरकरण संख्या 199 दिनांक

11.04.2022 स्वीकृत किया गया। प्रार्थी द्वारा जैर आराजी के नामान्तरकरण संख्या 199 की अपील न्यायालय जिला कलक्टर, पाली में प्रस्तुत की गयी, जिसके प्रकरण संख्या 57/2022 थे, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 14.06.2023 के द्वारा उक्त अपील को गुणावगुण पर खारिज किया गया। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, पाली ने अपने निर्णय में यह अंकित किया कि "सहायक कलक्टर, रानी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 के विरूद्ध अपील के कोई ठोस एवं विधिक आधार नहीं होने से अपील की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।" तथा नामान्तरकरण की फर्द में भी सम्बन्धित पटवारी एवं गिरदावर द्वारा सिविल न्यायालय, देसूरी के वाद संख्या 33/2019 में राजीनामा दिनांक 06.04.2022 के द्वारा स्वीकार होना अंकित किया है।

प्रार्थी तहसीलदार, रानी ने न्यायालय सहायक कलक्टर, रानी के प्रकरण संख्या 30/2017 बअनवान नन्दलाल के का.मु. रजनी व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के तहत रेफरेन्स प्रस्तुत किया जबकि इसी निर्णय दिनांक 12.04.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली में निजी व्यक्ति द्वारा पेश की गयी थी, जिसमें प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार की सहमति के आधार पर उक्त अपील जरिये विड्रो खाजिर की गयी, यदि प्रार्थी को यह महसूस होता है कि उक्त निर्णय उनके विरूद्ध हुआ है तो उन्हें उक्त आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी थी, जो नहीं दी जाकर इस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र की आड़ में अपीलीय प्रावधानों का उपयोग करवाना चाहा है, जो न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने से विधि सम्मत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2020 DNJ (Rev.) 113 State of Rajasthan vs Harlal के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 82–निर्णय व डिक्री को अपास्त करने हेतु रेफरेन्स–विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी को भूमि का गैर खातेदार घोषित किया–दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय ने वाद डिक्री किया–गैर खातेदारी की घोषणा हेतु वाद पोषणीय है–निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रार्थी अपील पेश कर सकता है किन्तु रेफरेन्स के जरिये अपास्त नहीं किया जा सकता–निर्णीत, रेफरेन्स खारिज होने योग्य है। इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त 2020 DNJ (Rev.)97 State of Rajasthan vs Kesudan के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 82 व 42–डिक्री को अपास्त करने हेतु रेफरेन्स–धारा 42(2) का उल्लंघन–अनुसूचति जाति के व्यक्ति की भूमि–पक्षकारों की साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद डिक्री पारित की–डिक्री को हस्तान्तरण नहीं माना जा सकता–केवल घोषणा हेतु डिक्री जारी की–नये अधिकार सुजित नहीं हुए–निर्णय अपील योग्य था और रेफरेन्स के जरिये डिक्री अपास्त नहीं की जा सकती–निर्णीत, रेफरेन्स खारिज होने योग्य है। ये न्यायिक सिद्धान्त प्रकरण हाजा पर पूर्णतः चस्पा होते हैं, क्योंकि इस मामले में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानी के समक्ष वाद संस्थित हुआ है, जिसमें उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों पर तनकीयात कायम की जाकर, उन तनकीयात पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय उपरांत गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय को सक्षम अपीलीय न्यायालय में चुनौती भी दी गई, किन्तु अपीलीय न्यायालय में उक्त अपील खारिज हुई। इस प्रकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

यह स्पष्ट होता है कि सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित वाद के गुणावगुण पर किए गए निर्णय एवं डिक्री को रेफरेन्स के जरिये अपास्त नहीं किया जा सकता है, इस हेतु सक्षम न्यायालय में अपील ही समुचित उपचार है। विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, रेफरेन्स की कारवाई पर अधिभावी होती है। जहां अपील का उपचार उपलब्ध हो, वहां रेफरेन्स के जरिये डिक्री को अपास्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 44/2007 बअनवान नंदलाल बनाम पकिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 के विरूद्ध माननीय अपर सेशन न्यायालय, देसूरी में अपील प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विधिनुरूप नहीं होने से खारिज योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यदि प्रार्थी उक्त आदेश से शिकवा रखते है तो वह सक्षम न्यायालय में अपील हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)